

26-11-15

20/11/15
वकुलाय उपस्थित) पत्रावली कास्टे A/D अंतर्गत
हनु डिपॉजिट 8-16 को पेश हो) है

8-16 पत्रावली पेश हुई।
वकुलाय उप. / आज श्रीमान् पीटामीन
अधिकारी दौरे पर / अवकाश पर पेश
है। पत्रावली इतना होकर दिनांक 1-2-16
को पेश हो।

[Signature]
रीडर

उपखण्ड अधिकारी, देहली

1-2-16

वकुलाय उपस्थित) पत्रावली कास्टे A/D अंतर्गत
हनु डिपॉजिट 10-3-16 को पेश हो) है

10-3-16

वकुलाय उपस्थित) पत्रावली कास्टे A/D अंतर्गत
हनु दिनांक 2-5-16 को पेश हो) है

13/5/16

~~पत्रावली न्याय आपकी इच्छा केमप डायसन/कसा फाइल
वारी में गुणवत्ता उत्कृष्ट कर वड जस्टि
विडोस खासिज कराने का डिपॉजिट विपॉजिट
वारी का वड जस्टि डिपॉजिट खासिज विपॉजिट
हापगावली इकी कडर पे पला शुमार देकर वड
वकमीस जस्टि विपॉजिट के कडर जमा हो) है~~

S.O.I

उपखण्ड अधिकारी
देहली (वकमीस)

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर देसूरी
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट)

पीठासीन अधिकारी :-पर्वत सिंह चूण्डावत उपखण्ड अधिकारी देसूरी

उनवान

दलाराम पुत्र अचलाराम कौम सीरवी निवासी डायलाना कलां

बनाम

जसाराम पुत्र अचलाराम

ओगड पुत्र पेमाजी

भीमा पुत्र दुर्गा

कौम सीरवी निवासी डायलाना कलां

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार

दावा बाबत- 88,89,188, राज0 काश्त. अधिनियम 1955

मुकदमा नम्बर :-58/2014

निर्णय दिनांक :-18/05/2016 राजस्व लोक अदालत डायलाना कलां

वादी दलाराम पुत्र अचलाराम कौम सीरवी निवासी डायलाना कलां प्रतिवादी जसाराम पुत्र अचलाराम,ओगड पुत्र पेमाजी,भीमा पुत्र दुर्गा कौम सीरवी निवासी डायलाना कलां ने आज तारीख 18.05.2016 राजस्व लोक अदालत शिविर अटल सेवा केन्द्र डायलाना कलां में उपस्थित होकर आवेदन प्रस्तुत किया । लोक अदालत की भावना से वादी एवं प्रतिवादी में आपसी राजीनामा हो चुका है। अतः वादी ने अपना वाद को आगे नहीं चलाने एवं जरिये विड्रोल खारिज करने का निवेदन किया ।

अतः वादी का वाद जरीये विड्रोल खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आदेश आज दिनांक 18.05.2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी किया जाता है।



(पर्वत सिंह चूण्डावत)

प्रभारी अधिकारी पीठासीन अधिकारी न्यायालय 2016

उपखण्ड अधिकारी एवं

पदेन सहायक कलक्टर, देसूरी